सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 2024 / 39 दर्ज दिनांक : 24.10.2024

1. सदा कंवर पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डवा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. शिव कुमार शर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी भालेरी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. नवरतन शर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी भालेरी तहसील व जिला चूरू (राज.)

—अप्रार्थीगण—

3. नागरसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. लालसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—गौण अप्रार्थीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री शिवसिंह राठौड़
अप्रार्थी सं. 1, 2ः—श्री नरेन्द्र शर्मा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—ःनिर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीया की एक खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 537/ [illegible] 4.7550 हैक्ट. वाके रोही बास रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू में [illegible] है [illegible]में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा स्थित है जिसके पुराने खसरा संख्या 1[illegible] [illegible] 4 के भाई इन्द्रसिंह से खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

की गई थी तभी से प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2071'2074 संलग्न प्रार्थना पत्र की जा रही है।

2. प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के भाई इन्द्रसिंह से उक्त कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय—पत्र के खरीद की गई थी उक्त कृषि भूमि जो कि इन्द्रसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि थी जिसका अप्रार्थी संख्या 3 व 4 तथा इन्द्रसिंह द्वारा बाहमीतौर पर आपस में विभाजन कर रखा था जिसमें आवागमन हेतु भींवसिंह के हिस्से पांति रखी गई कृषि भूमि जिसे भींवसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विक्रय की गई कृषि भूमि खसरा संख्या 536 / 15 में से सदामत से चले आ रहे गांव करणीसर से ब्राहमणों की ढ़ाणी को जाने वाले रास्ते से होकर एनेक्चर ए में दिखाये गये ए से बी रास्ता रखा गया था इसी रास्ते का उपयोग इन्द्रसिंह द्वारा किया जाता था एवं यही रास्ता प्रार्थीया को विक्रय की गई भूमि में आवागमन हेतु छोड़ा गया था रास्ते की भूमि के लिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को कृषि भूमि खसरा संख्या 536 / 15 का विक्रय करते समय 0.1264 हैक्ट. कृषि भूमि भींवसिंह द्वारा रास्ते हेतु निशुल्क अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को दी गई थी।

3. प्रार्थीया की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 337 / 15 जिसके पुराने खसरा संख्या 15 थे जो पूर्व में मोतीसिंह, भीवसिंह, नागरसिंह पुत्रगण मंगलसिंह तथा इन्द्रसिंह तथा लालसिंह पुत्रगण मोतीसिंह विरासतन कृषि भूमि रही है उक्त पुराने खसरा संख्या 15 के वर्तमान खसरा संख्या 535 / 15, 536 / 15, 537 / 15 है प्रमाण स्वरूप जमाबंदी 2059—62, 2047—50, 2051—58 संलग्न प्रार्थना—पत्र है प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु एनेक्चर ए में दिखाये गये ए से बी रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

4. प्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दिखाये गये ए से बी रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया की कृषि भूमि में आवागमन हेतु नहीं है तथा प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के उक्त खेत खसरा संख्या 536 / 15 में से संलग्न नजरी नक्शा में दिखाये गये ए से बी मार्ग होते हुये अपने खेत खसरा संख्या 537 / 15 में प्रवेश करती है। इसी नजरी नक्शा में ए से बी मार्क से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में काटकर अंकन करवाने के लिए यह प्रार्थना—पत्र किया जा रहा है।

5. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अब इस रास्ते से प्रार्थीयो को अपने खेत में जाने से बाधा डालता है तथा धमकी देता है कि मैं इस रास्ता को बंद करूंगा तथा कई बार वह इस तरह के प्रयास भी कर चुके है, वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर रखा है जिससे कई बार झगड़ा फसाद होने की नोबत आ जाती है इसलिये अब नजरी नक्शा खसरा संख्या 536 / 15 में दर्शाये मार्क सी से डी व ए से बी तक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया शांतिप्रिय महिला है तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि खसरासंख्या 536 / 15 में से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी व सी से डी तक का रास्ता काटकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें जिसके लिये प्रार्थीया रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि जमा करवाने को तैयार है जिस हेतु यह प्रार्थना—पत्र पेश किया जा रहा है।

6. प्रार्थीया ने स्वयं व गांव के मौजिज व्यक्तियों से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को कहा व कहलवाया कि वह अपने खेत से प्रार्थीयाके आवागमन [illegible] को न रोके परन्तु पहले तो वह टालमटोल करता रहा, अन्त में दिनांक [illegible] राजी मानने से इंकार हो गया, लिहाजा यही तारीख बिनाय मुख[illegible]यी को प्रार्थना—पत्र पेश करने का अधिकार हासिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

7. तहसीलदार, चूरू को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन उन्हीं के मार्फत होना है इसलिये उन्हें धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
8. उपरोक्त कृषि भूमि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित गांव बास रामपुरा पट्टा तहसील व जिला चूरू में स्थित है इसलिये न्यायालय को श्रवणाधिकार हासिल है तथा प्रार्थना–पत्र हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा संख्या 536/15 में से संलग्न नजरी नक्शा में दिखाये गये ए से बी, सी से डी मार्क से दर्शाये गये रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में काटकर अंकन किया जावे।

9. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया राजीनामा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आपस में खेत पड़ौसी है जिन्होनें आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए विवादित रास्ता जिसके लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जिसमें अप्रार्थी सं. 1, 2 की कृषि भूमि ख. नं. 536/15 की पूर्वी सीमा में से उत्तर–दक्षिण तथा प्रार्थीया की कृषि भूमि ख. नं. 537/15 पश्चिमी सीमा में से उत्तर–दक्षिण रास्ता कटानी करवाने के लिए सहमती बनी है जिसके लिए रास्ते की आधी भूमि प्रार्थीया की कृषि भूमि में से दी जावे तथा आधी भूमि अप्रार्थी सं. 1, 2 की कृषि भूमि में से दी जावे जिसके लिए सभी पक्षकारान आपस में सहमत है इसी अनुसार आदेश जारी करने का श्रम करें। रास्ता कायम करने के लिए समतलीकरण का खर्चा दोनों पक्षकार बराबर–बराबर वहन करेंगे।
10. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसकी खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 537/15 रकबा 4.7550 हैक्टेयर रोही बास रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का आधा हिस्सा है। उक्त भूमि पूर्व में खसरा संख्या 15 थी, जिसे प्रार्थीया ने इन्द्रसिंह से पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा खरीद कर काश्त करना प्रारम्भ किया। प्रार्थीया का कथन है कि उसकी कृषि भूमि में आवागमन हेतु संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया ए से बी रास्ता ही एकमात्र मार्ग है, जो अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा संख्या 536/15 में से होकर जाता है। पूर्व में यह रास्ता उपयोग में रहा है, किन्तु वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा रास्ते में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अतः उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना–पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। राजीनामा के अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 आपस में खेत पड़ौसी होने के कारण भाईचारा बनाए रखने हेतु विवादित रास्ता आपसी सहमति से निकालने पर सहमत हुए हैं। सहमति के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि खसरा नं. 536/15 की पूर्वी सीमा से उत्तर–दक्षिण दिशा में तथा प्रार्थीया की भूमि खसरा नं. 537/15 की पश्चिमी सीमा से उत्तर–दक्षिण दिशा में रास्ता कायम किया जाएगा। रास्ते हेतु आवश्यक भूमि का आधा भाग प्रार्थीया की भूमि से तथा आधा भाग अप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि से दिया जाएगा। रास्ते के समतलीकरण का खर्चा दोनों पक्षकार बराबर–बराबर वहन करेंगे। न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

द्वारा राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों द्वारा राजीनामा को स्वेच्छा से किया जाना स्वीकार किया गया। राजीनामा विधि–सम्मत एवं स्वीकार्य पाया गया। अतः

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न नज़री नक्शा एवं राजीनामा की शर्तों के अनुसार मौके पर रास्ता कायम करवाकर आवश्यक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन/दुरुस्ती की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करें।

उक्त निर्णय आज 02.02.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:47 IST
Reason: SelfAttested